रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/93

REGISTERED NO. DL-33001/93

[library stamp]

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1993 (आषाढ़ 5, 1915)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1993 (ASADHA 5, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisments and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय,

बम्बई, दिनांक 19 जून 1993

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक महासभा 'हरिहर कला भवन' परेड ग्राउन्ड के सामने, एम सी एच सिकन्दराबाद डिवीजन के निकट, सरदार पटेल रोड, सिकन्दराबाद (हैदराबाद) आंध्र प्रदेश में बृहस्पतिवार 29 जुलाई, 1993 को सायं 4.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :—

31 मार्च, 1993 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलनपत्र और लाभहानि लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना।

डी. बसु

अध्यक्ष

बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

बम्बई, 400021, दिनांक 26 मार्च 1993

सं॰ पी॰: आई॰ आर॰ :बी॰ एन॰ के॰: 1169ए— बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण, अधिनियम 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का नाम बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 होगा। (2) ये संशोधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने की तारीख अर्थात् 26-2-1993 से लागू होंगे।

3. संशोधन का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

ए॰ आर॰ सरदेसाई,

सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)

बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का संशोधित विनियम 20

विनियम 20 (1) (क) किसी भी अधिकारी का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक या अपर्याप्त होने के संबंध में यदि बैंक संतुष्ट है या उसकी सत्यनिष्ठा के मामले में स्वभाविक संदेह है या बैंक की सेवा में उसके बने रहने से बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना संभव या समीचीन न हो तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियम 16 के उप-विनियम (3) के अध्यधीन उसे तीन महीने का नोटिस देकर या उसके एवज में परिलब्धियां देकर बैंक उसकी सेवा समाप्त कर सकता है।

(ख) जब तक ऐसे अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता तब तक इस उप-विनियम के अन्तर्गत सेवा समाप्ति का आदेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अन्तर्गत किसी अधिकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ही लिया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अन्तर्गत पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी को निदेशक मंडल के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा। अपील की अनुमति दिए जाने पर उप-विनियम (क) के अन्तर्गत पारित आदेश रद्द होगा।

(ङ) जिस अधिकारी की सेवा समाप्त की गई है और जिसे नोटिस के एवज में तीन महीने की परिलब्धियों की राशि का भुगतान किया गया है और अपील करने पर उसकी सेवा-समाप्ति रद्द कर दी जाती है तो नोटिस के एवज में उसे भुगतान की गई राशि का समायोजन सेवा-समाप्ति न होने पर उसने जो संवेतन अर्जित किया होगा, उससे किया जाएगा और वह उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर बैंक की सेवा में बना रहेगा मानो सेवा समाप्ति आदेश पारित ही न किया गया हो।

(च) उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अन्तर्गत जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई है उसके द्वारा की गई सेवा के वर्षों की संख्या चाहे कुछ भी हो, उसे उपदान, नियोक्ता के अंशदान सहित भविष्य-निधि और नियमानुसार देय अन्य सभी राशियों का भुगतान किया जाएगा।

(ज) इसमें दी गई कोई भी बात विनियम 19 (1) के अन्तर्गत किसी अधिकारी कर्मचारी को सेवा-निवृत्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

2. कोई भी अधिकारी, बैंक से अपनी सेवा छोड़ने या समाप्त करने या त्यागपत्र देने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में नोटिस दिए बिना बैंक से अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा। अपेक्षित नोटिस की अवधि 3 महीने की होगी और नोटिस इन विनियमों में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा परन्तु यह और भी कि सक्षम प्राधिकारी 3 महीने की अवधि को घटा सकता है अथवा नोटिस दिए जाने की अपेक्षा से छूट दे सकता है।

3 (i) किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो तो वह लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/न समाप्त करेगा और न ही त्यागपत्र देगा और इस प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान उसके द्वारा दिया गया नोटिस या त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

(ii) इस विनियम के प्रयोजन हेतु किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उस अवस्था में लंबित मानी जाएगी यदि उसे निलंबित कर दिया हो अथवा उसे "कारण बताओ" नोटिस देकर उससे यह बताने के लिए कहा गया हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्यों न की जाए और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अन्तिम आदेश पारित नहीं किए जाते तब तक इस अनुशासनिक कार्यवाही को लंबित माना जाएगा।

(iii) यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है तो वह अधिकारी अधिवर्षिता की तारीख से सेवा में नहीं रहेगा। परन्तु, कार्यवाही पूरी होने तक और इस संबंध में अन्तिम आदेश पारित होने तक वह सेवारत है ऐसा मानते हुए अनुशासनिक कार्यवाही जारी रहेगी। संबंद्ध अधिकारी को अधिवर्षिता की तारीख के बाद कोई वेतन और/या भत्ता नहीं मिलेगा। कार्यवाही पूरी होने तक और उस संबंध में अन्तिम आदेश पारित होने तक वह अनिवार्य भविष्य-निधि के अपने स्वयं के अंशदान को छोड़कर अन्य सेवांत लाभों के भुगतान का भी हकदार नहीं होगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

बम्बई, दिनांक 17 मई 1993

औद्योगिक वित्त निगम नियम, 1965 के नियम 4 के अनुसरण में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (विकास बैंक) एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा०औ०वि०नि०) ने अपने द्वारा मंजूर किए गए अथवा मंजूर किए जाने वाले ऋणों पर विकास बैंक के अनुमोदन से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरें निम्नानुसार निर्धारित की हैं :

	ब्याज दर प्रतिवर्ष (15-3-93 से लागू)
(i) परियोजना ऋण	17.0%-19.0%
(ii) उपस्कर वित्तपोषण योजना के अधीन ऋण	18.5% (न्यूनतम)
(iii) सार्वजनिक निगम के मद्दे पूरक ऋण	21% (न्यूनतम)

टिप्पणी : उपर्युक्त दरों में ब्याज कर शामिल है। जहाँ ब्याज दरों के समूह का संकेत किया गया है, वहां किसी मामले विशेष में लागू होने वाली दर इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि, इसमें निगम का कितना जोखिम निहित है। तथापि, संशोधित दरें 0.5% तक पूर्णांकित करते हुए निर्धारित की जाएंगी। गैर-परियोजना ऋणों के मामलों में उधार दरें बाजार से संबद्ध होंगी; ऊपर निर्दिष्ट दरें प्रभारित की जाने वाली न्यूनतम दरें हैं।

आर० एन० पाठील,
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1993

सं० यू०-16/53/90-चि०-2 (पश्चिमी बंगाल) —कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105, के साथ महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25-4-1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी०) दिनांक

23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा डा० एन० एम० मुखर्जी को कलकत्ता क्षेत्र [क्षेत्र का आबंटन उप-चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी जोन) द्वारा किया जाएगा] के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थय परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए उनको 16-6-93 से 31-10-93 या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक की अदायगी पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमति) ए० ए० अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1993

सं० यू-16/53-1/90-चि०-2 (महाराष्ट्र) संग्रह-I —कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम, 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या--1024 (जी०) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० (श्रीमति) कमला भटनागर को बाणगंगा स्टेट बम्बई क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वर्ष की अवधि तक (1-7-93 से 30-6-94 तक) या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) ए० ए० अम्बेकर
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1993

सं० वी-33 (13)-7/93-स्था० 4 --कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में तथा निगम की अधिसूचना सं० वी०-33 (13)-7/90-स्था० 4 दिनांक 26-4-1990 का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद् द्वारा केरल क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :--

1. श्रम मंत्री केरल सरकार	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य मंत्री, केरल सरकार	उपाध्यक्ष
3. आयुक्त एवं सचिव, केरल सरकार, श्रम विभाग	सदस्य
4. निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केरल	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चीफ प्रभारी अधिकारी पदेन सदस्य
5. उप चिकित्सा आयुक्त कर्मचारि राज्य बीमा निगम, दक्षिण जोन, बंगलौर	पदेन सदस्य
6. श्री सी० राजगोपाल, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) अपोलो टायर्स, पनाम्पुरी, त्रिचूर	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री एम०पी०आर० नायर, सलाहकार जी०टी०एन० टैक्सटाइल्स, एलवा	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
8. श्री के० पी० कमलाधरन, प्रबंधक निदेशक, काम्पसैक्स, कोचीन।	--वही--
9. श्री एम० सोमशेखरन जनसम्पर्क प्रबंधक, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०, जवाहर नगर, तिरुवनाथपुरम	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
10. श्री पी०वी० शंकरनारायणन, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, इन्टक, आशा अमचवाट्ट म, मगांव, कोजीकोड़े।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
11. श्री सी० दिवाकरण एटक, वैभूयकौड़, तिरुवनन्थपुरम	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
12. श्री सी० कन्नन, प्रधान, केरल सीटू, कन्नूर।	--वही--
13. श्री ए० ए० अजीज, आर०एस०पी० कार्यालय, यूटक, करसोन मार्ग, कोल्लम।	--वही--
14. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचूर (केरल)।	सदस्य सचिव

ललित परिहार
महा निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून 1993

सं० यू०-16/53/1/90-चि०-2 (महाराष्ट्र) संग्रह-3 --कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम-1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी०) दिनांक : 23 मई 1983 के द्वारा शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा बम्बई (दादर) की डा० (श्रीमति) एस० कनसारे को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 27-6-93 से 26-6-94 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो, बम्बई (दादर क्षेत्र) केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमति) ए० ए० अम्बेकर
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 4 जून 1993

सं० यू०-16/(53)/91-चि०-2 (आ० प्र०) सं 1 --कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में मैं इसके द्वारा निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी/अधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्राधिकारी के अन्दर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक के सामने नीचे दिए गए कार्यविधि या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक इनमें से जो भी

पहले हो, चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

क्र० सं०	नाम	क्षेत्र	अवधि	पारिश्रमिक
1.	निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं	हैदराबाद	19-11-92 से 18-11-93	वर्तमान मानकों के अनुसार
2.	उप निदेशक बीमा चिकित्सा सेवाएं	कुडापा	16-11-92 से 15-11-93	—वही—
3.	डा० बी०आर० देशपाण्डे	मामन्त नगर	16-5-93 से 15-05-94	—वही—
4.	डा० डी० भारती	हैदराबाद	16-05-93 से 15-05-94	—वही—

डा० (श्रीमति) ए० ए० अम्बेकर,
चिकित्सा आयुक्त,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मई 1993

सं० 3/93—यह अधिसूचित किया जाता है कि निगम का शेयर रजिस्टर बंद कर दिया जाएगा और हस्तान्तरणों का पंजीकरण 16 जून से 30 जून, 1993 (दोनों दिनों सहित) तक निलम्बित रहेगा।

बोर्ड के आदेश से
एच० सी० शर्मा
कार्यपालक निदेशक

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Bombay, the 19th June 1993

NOTICE

The Thirty-eighth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at "Harihara Kalabhavan", Opp. Parade Ground, Next to M. C. H. Secunderabad Division, Sardar Patel Road, Secunderabad (Hyderabad), A. P., on Thursday, the 29th July, 1993 at 4.00 p. m. for the transaction of the following business :—

to receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 1993 and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

D. BASU
CHAIRMAN

BANK OF INDIA

Bombay-400 021, the 26th March 1993

GSR Ref No. P-IR-VNK-1169.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Committee (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970, the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulation further to amend the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979. (2) The amendment shall come in to force on and from the date of approval by the Board i.e. 26-2-1993.

3. The details of the amendments are given in Annexure I.

A. R. SARDESAI,
Assistant General Manager
(Personnel)

एअर इंडिया

एअर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम

सं० एच० क्यू० 72-39 (ए)—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 8 की उप धारा 2 के साथ पठित धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एअर-इंडिया, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एअर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

(i) इन विनियमों को एअर इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम 1993 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2 एअर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम, 1963 में (जिन्हें अब से यहां उक्त विनियम कहा जाएगा), वर्तमान विनियम 42 के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए यथा :

"42 (क) दहेज देना या दहेज लेना :

कोई भी कर्मचारी :—

(क) दहेज न देगा/देगी या न लेगा/लेगी या न ही देने/लेने के लिए उकसाएगा/उकसाएगी, अथवा

(ख) न किसी वधू या वर के माता पिता या संरक्षक से, प्रत्यक्ष या अ-प्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज मांगेगा/मांगेगी।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।"

नोट :—प्रधान विनियम तारीख 19 अक्तूबर, 1963 के, भारत सरकार के राजपत्र 1963 के भाग, III धारा 4 पृष्ठ 635 पर प्रकाशित हुआ था।

ज० रा० जगताप,
सचिव

'ANNEXURE 1'

REVISED REGULATION 20 OF THE BANK OF INDIA (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979

Regulation : 20 (1)

(a) Subject to sub regulation 3 of regulation 16, where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafide suspicion about his integrity of his retention in the Bank's service would be prejudicial to the interests of the Bank and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the Bank may terminate his services on giving him three month's notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guide lines issued by the Government from time to time.

(b) Order of termination under this sub regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order.

(c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman and Managing Director.

(d) The Officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.

(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the

salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the Bank's employment on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.

(f) An Officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules not with standing the years of service rendered.

(g) Nothing contained herein above will affect the Bank's right to retire an officer employee under Regulation 19(1).

(2) An Officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulations.

Provided further that the Competent Authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.

(3) (i) An Officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of competent authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice been issued to him to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(iii) The Officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contributions to CPF.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

Bombay, the 17th May, 1993

In pursuance of Rule 4 of the Industrial Finance Corporation Rules, 1965, the Industrial Development Bank of India (Development Bank) hereby notifies that the Industrial Finance Corporation of India(IFCI) has, with the approval of the Development Bank, fixed the dates of interest to be charged by IFCI on loans sanctioned or to be sanctioned by it at the rates mentioned below:

	Interest rate per annum (Effective from 15-3-93)
(i) Project Loans	17·0%—19 0%
(ii) Loans under Equipment Finance Scheme	18·5% (minimum)
(iii) Bridge loans against public issue	21% (minimum)

Note: The above rates are inclusive of interest tax where a band of rates has been indicated, the rate will be decided in a particular case keeping in view IFCI perception of the risk involved. However, the revised rates will be fixed by rounding off the same to 0·5%. In case of non-project loans, the landing rates would be market related; the rates indicated above are the minimum rates to be charged.

R. H. PATIL, Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th May 1993

No. U-16/53/90 Med-II (WB).—In pursuance of the resolution passed at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General, the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23rd May, 1983, I hereby authorise Dr. N. M. Mukharjee to function as Medical Authority for the period from 16-6-93 to 31-10-93 or till a full-time Medical referee joins, whichever is earlier for Calcutta area (West Bengal). Areas to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (East Zone), Calcutta on payment of monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical exam nation of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. MRS. A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner.

New Delhi, the 27th May 1993

No. U-16/53/(1)/90-Med. II (Maha.) Col. 1.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 104(G), dated 23-5-83 I hereby authorise Dr. (Mrs.) Kamla Bhatnagar PTMR Wagle Estate Bombay to function as Medical Authority for further one year (From 1-7-93 to 30-6-94) or till full-time Medical Referee joins whichever is earlier for Wagle Estate Bombay at a monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Dr. (Mrs.) A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner

New Delhi, the 28th May 1993

No. V-33(13)-7/93-Estt. IV—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 and in supersession of Corporation's Notification No. V-33(13)-7/50-Estt IV dated 26-4-1990, the Chairman, ESI Corporation hereby reconstitutes the Regional Board for Kerala Region which shall consist of the following members, namely:—

1. Minister for Labour, Government of Kerala.	Chairman
2. Minister for Health, Government of Kerala.	Vice-Chairman/
3. Commissioner and Secretary to the Government of Kerala, La bour Department.	Member
4. Director of Insurance Medical Services, ESI Scheme, Kerala.	Officer directly incharge of ESIS Ex-Officio-Member.
5. The Deputy Medical Commissioner, ESI Corporation, South Zone, Bangalore.	Ex-Officio-Member
6. Shri C. Rajagopal, General Manager (Human Resources), Appollo Tyres, Chalakkudy, Trissur.	Employers' Representative

7. Shri M.V.R. Nair, Advisor, G.T.N. Textiles, ALUVA.	Employer' Additional Representative.
8. Shri K.V. Kamaladharan, Managing Director, Kappex, KOLLAM.	Do.
9. Shri M. Somasekharan, Public Relations Manager, Hindustan News Print Ltd., Jawahar Nagar, Thiruvanathapuram	Do.
10. Shri P.V. Sankaranarayanan, Ex-M.L.A., I.N.T.U.C., Asha Azhchavattom, Mangave, Kozhikode	Employees' Representative
11. Shri C. Divakaran, A.I.T.U.C., Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram.	Employees' Additional Representative
12. Shri C. Kannan, President, Kerala C.I.T.U., Kannoor.	Do.
13 Shri A.A Azeez, R.S.P. Office, U.T.U.C., Karson Road, Kollam.	Do.
14. The Regional Director, ESI Corporation, Trissur (Kerala).	Member-Secretary

L.B. PARIYAR, Director General

New Delhi, the 1st June 1993

No. U-16/53/1/90 Med-II (Maha) Col. III.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951 coferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) S. Kansara Dadar of Bombay Centre to function as medical authority w.e.f. 27-6-93 to 26-6-94 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Bombay Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Dr. (Mrs.) A. A. AMBEKAR,
Medical Commissioner.

New Delhi, the 4th June 1993

No. U-16/53/91 Med-II (A.P.) Col. I—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon me the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, I hereby authorise the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms, for the period indicated against each, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for respective areas for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. No	Name of Doctor	Area	Period
1.	Director of Insurance Medical Services	Hyderabad	19-11-92 to 18-11-93
2.	Dy. Director of Insurance Medical Services	Cuddapah	16-11-92 to 15-11-93
3.	Dr. V.R. Deshpande	Sanathnagar	16-5-93 to 15-5-94
4.	Dr. D. Bharati	Hyderabad	16-5-93 to 15-5-94

DR. (MRS.) A.A. AMBEKAR,
Medical Commissioner.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 25th May 1993

No. 3/93.—It is hereby notified that the Share Register of the Corporation will be closed and the registration of transfers suspended from the 16th June to the 30th June, 1993 (both days inclusive).

By order of the Board

H. C. SHARMA,
Executive Director

AIR INDIA

AIR INDIA EMPLOYEES' SERVICE REGULATIONS

No. HQ/72-39(A).—In exercise of the powers conferred by Section 45 read with Sub-section 2 of Section 8 of the Air Corporations Act 1953 (77 of 1953), Air India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Air India Employees' Service Regulations namely :—

1. (i) These regulation shall be called the Air India Employees' Srvice (Amendment) Regulations 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. In the Air India Employees' Service Regulations 1963 (hereinafter referred to as the said Regulations), after Regulation 42, the following new clause be inserted, i.e. :

"42(A) Giving or taking Dowry :

No employee shall :—

(a) Give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(b) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, any dowry.

Explanation : For the purpose of this regulation "Dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act 1961 (28 of 1961)."

Note :—Principal Regulation published vide notification dated October 19, 1963, Gazette of India 1963, Part III, Section 4, Page 635.

J. R. JAGTAP,
Secretary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993